न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—149/2018/223 (2018/00149)

1. शांति बेवा भूरा उर्फ भंवरलाल, जाति माली, निवासी ममाणा, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।
2. अयोध्या पुत्री भूरा पत्नि रामकरण, जाति माली, नि0 दूदू, जिला जयपुर।
3. सम्पति उर्फ सम्पत पुत्री भूरा, पत्नि रामदयाल माली, निवासी दूदू, जिला जयपुर ।

अपीलांटस

बनाम

1. लादू पुत्र श्रवण, जाति माली, नि0 ममाणा, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंट/वादी

2. नौरत पुत्र लादू माली, नाबालिग जरिये वली माता श्रीमती ज्यानादेवी, नि0 ममाणा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
3. तहसीलदार, तहसील दूदू, मुख्या0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण/रेस्पो0

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू दिनांक 21.4.2003 एवं 17.1.2003 अंतर्गत वाद संख्या 350/2013.

उपस्थितः—

1. श्री विरेन्द्रसिंह शेखावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री विरेन्द्रसिंह खंगारोत, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. एन0एस0राजावत, वकील रेस्पो0 संख्या 2
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांकः— 13.9.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.4.2003 एवं 17.1.2003 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1/वादी ने अधी0न्याया0 में अपीलांटस के विरूद्ध वाद बाबत् तकासमा, घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा विवादित आराजी खतौनी संख्या 305 की आराजी खसरा संख्या 760/1633 रकबा 15 बीघा वाके ग्राम ममाणा, तह0 दूदू में अवस्थित है जिसका वादी 1/2 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है एवं काबिज काश्त है । स्व0 भूरा परिवार का कर्ता खानदान था जो दोनों

भाईयों के राजकीय एवं सामाजिक कार्य में भाग लेता था दोनों की तरफ से हाजिर होता रहा है, स्व0 भूरा के कोई जायंदा पुत्र नहीं होने से भी वादी उसकी सेवा सुश्रषा करता था । वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की संयुक्त सम्पति का विधिवत् बंटवारा नहीं हुआ है और भूरा के फौत होने पर प्रतिवादीगण की नियत बदल गई है, जबकि संपूर्ण आराजी पर वादी ही काश्त करता है और 1/2 हिस्से की उपज अपने भाई को दे देता था, लेकिन स्व0 भूरा की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादीगण के मन में बेइमानी आ गयी और वादी के विवादित आराजी में 1/2 हिस्से से मना कर दिया और कहा कि हमारे नाम से नामांतकरण खुल गया है, वादी का इसमें कोई हक व हिस्सा नहीं है । वादी भाई पर विश्वास होने से राजस्व रिकार्ड की जानकारी नहीं रख समा । कर्ता खानदान होने के कारण उक्त आराजी का परचा सेटलमेंट अकेले स्व0 भूरा के नाम से गलत जारी हो गया जबकि संयुक्त रूप से जारी होना चाहिये था । अन्य आराजी खतौनी संख्या 286 में दोनों भाईयों का हिस्सा दर्ज है । इस कारण यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है । अतः वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात में वादी को 1/2 हिस्से का, प्रतिवादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के विवादित आराजियात का बंटवारा किया जाकर खाता अलग–अलग कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 17.1.2003 को वादी का वाद स्वीकार कर वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की तत्पश्चात् दिनांक 21.4.2003 को वाद में अंतिम डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.1.2003 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 21.4.2003 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 17.1.2003 एवं 21.4.2003 न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । विद्वान अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 को वादी के पक्ष में साबित मानकर विधिक त्रुटि कारित की है क्योकि अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे में वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित तथ्यों को गलत होना स्वीकार किया है तथा सजरा खानदान में जवाबदावे में वादी को पृथक बताया गया है जो प्रतिवादीगण/अपीलांटस को संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य नहीं है तथा इस संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 1 ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की है तथा जो मौखिक साक्ष्य पेश की है उसमें भी संयुक्त परिवार का सदस्य होना साबित नहीं है । पैरा संख्या 2 में जो आराजी वर्णित की है उक्त आराजी अपीलांटस के पति भूरा की आवंटनशुदा थी जिस पर अपीलांटस व भूरा काबिज काश्त थे । उक्त तथ्यों के संबंध में अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 के निस्तारण के समय कोई आधार निर्णय में वर्णित नहीं किये है इसके बावजूद तनकी संख्या 1 को वादी के पक्ष में साबित मानकर निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष विवादित आराजी में उसका 1/2 हिस्सा हो इस संबंध में कोई राजस्व अभिलेख खसरा गिरदावरी, लगान की रसीदें इत्यादि साक्ष्य पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाये है जिससे उसका विवादित आराजियात में 1/2 हिस्सा साबित होता हो । अधी0न्याया0 ने केवल मात्र मौखिक साक्ष्यों के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो काबिल

निरस्तनीय है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मौखिक साक्ष्य के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है । तनकी संख्या 2 को सिद्ध करने का भार वादी पर था किन्तु इस संबधि में वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया कि उक्त आराजी का परचा सेटलमेंट स्व0 भूरा के नाम जारी हुआ हो जबकि यह निर्विवाद तथ्य है कि उक्त आराजी का आवंटन कमेटी द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाकर स्व0 भूरा के नाम आवंटित की है जिसकी पुष्टि आवंटन दस्तावेजों से होती है । उक्त दस्तावेजों को अनदेखा कर अधी0न्याया0 ने भूरा को कर्ता खानदान मानते हुए आराजी का परचा सेटलमेंट में जारी होना मानकर तनकी संख्या 2 को वादी के पक्ष में निर्णित करने में त्रुटि की है । भूरा के नाम हुए आवंटन को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा आज दिवस तक निरस्त नहीं किया गया है । अधी0न्याया0 ने बिना अधिकारिता के आवंटन कमेटी के आदेश को निरस्त करने में क्षैत्राधिकारिता का दुरूपयोग किया है । बहस में आगे कथन किया कि तनकी संख्या 5 को साबित करने का भार भी प्रतिवादी पर रखा गया था। प्रतिवादी संख्या 4 वादी का नाबालिग पुत्र है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पति स्व0 भूरा ने कभी गोद नहीं लिया है जिसकी पुष्टि प्रतिवादी के गवाहों ने अपने बयानों में की है । गोद के संबंध में निर्णय करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है न कि राजस्व न्यायालय को। इसके बावजूद अधीव0न्याया0 ने केवल मात्र इकरारनामा के आधार पर उक्त तनकी को निर्णित किया है जो विधि विरूद्ध है । इसी प्रकार अन्य तनकियात भी अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअदांज कर निर्णित करते हुए वादी का वाद डिक्री करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.2003 एवं उसके आधार पर पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 21.4.2003 को निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री क्षैत्राधिकार से परे जाकर बिना क्षैत्राधिकार के पारित की है जिस पर परिसीमा अधि0 के प्रावधान लागू नहीं होते है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की अपीलांटस को जानकारी नहीं हुई क्योंकि उक्त वाद अंतिम रूप से एकसपक्षीय सुनकर निर्णित किया गया है । जिसके पश्चात् वादी ने अपीलांटस के विरूद्ध पुनः अधी0न्याया0 के समक्ष विवादित आराजी के संबंध में वाद प्रस्तुत होने पर उसमें उपस्थित होकर प्रभावी पैरवी करने तथा उक्त प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त कर विधिक राय प्राप्त की तो उक्त समस्त तथ्यों की जानकारी अपीलांट को दिनांक 2.4.2009 को हुई । अपीलांटस ग्रामीण परिवेश की व्यक्ति है जिन्हें मियाद कानून की जानकारी नहीं होने से समययावधि में अपील पेश नहीं कर सके थे । अधिवक्ता द्वारा विधिक जानकारी होने पर अपीलांटस ने जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने हेतु विलंब माफ किया जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अपीलांटस ने निर्णय व प्राथमिक डिक्री 17.1.2003 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 21.4.2003 के विरूद्ध एक ही अपील पेश की है जो संधारण योग्य नहीं है। अपीलांटस को प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध अलग–अलग अपीलें पेशी करनी चाहिये थी । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन,

विश्लेषण उपरांत तनकीवार निर्णय व डिक्री पारित की है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1983 पेज 811 एवं आर0एल0डब्ल्यू0 2003 पेज 1891 के न्यायिक दृष्टांत पेश कर निवेदन किया कि प्राथमिक डिक्री व अंतिम निर्णय व डिक्री के विरूद्ध एक अपील संधारण योग्य नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 4 के विरूद्ध वाद पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने प्रकरण में दिनांक 17.1.2003 को प्राथमिक डिक्री पारित की तत्पश्चात् दिनांक 21.4.2003 को वाद में अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है । अपीलांटस ने अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.1.2003 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 21.4.2003 के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष एक ही अपील पेश की है । चूंकि दावा घोषणा एवं विभाजन का है जिसमें प्राथमिक डिकी से हिस्से घोषित कर बाद विभाजन अंतिम डिक्री से हिस्से विभाजित किए गए है तथा अपीलांट ने प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री दोनों को एक ही अपील के माध्यम से चुनौती दी है । जबकि प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री की प्रकृति व अनुतोष अलग–अलग है, जिन्हें पृथक–पृथक अपीलों के माध्यम से चुनौती दी जानी चाहिए तथा प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध एक अपील कानूनन संधारण योग्य नहीं है । इसकी पुष्टि विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टांत आर0आर0डी0 1983 पेज 811 से भी होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांटस द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 17.1.2003 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 21.4.2003 के विरूद्ध एक ही अपील पेश किये जाने से हस्तगत अपील संधारण योग्य नहीं होने से अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य पायी जाती है ।

9. अतः अपील अपीलांटस कानूनन संधारणीय नहीं होने से खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 13.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर